

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

॥ आदेश ॥

पटना-15, दिनांक- 18.6.19

संख्या-12/प0-5001/17-सा0प्र0-8116 / विभागीय आदेश सं0-7316 दिनांक 29.5.19 एवं विभागीय आदेश सं0-7454 दिनांक 31.05.19 के द्वारा सर्वेक्षण कार्य से संबंधित संविदा नियोजन हेतु प्रशिक्षण एवं काउन्सिलिंग का कार्य करने के लिए दिनांक 12.6.19 से 01.07.19 तक राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना में की गयी प्रतिनियुक्ति आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए श्री महावीर प्रसाद शर्मा, बि0प्र0से0, भू-संपदा पदाधिकारी, बिहार राज्य आवास बोर्ड को दिनांक 21.6.2019 को माननीय उच्च न्यायालय में उपस्थित होने के लिए दिनांक 20.06.2019 से 21.06.2019 तक के लिए एवं सुश्री आरती, बि0प्र0से0, विशेष कार्य पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को दिनांक 22.6.2019 से 01.07.2019 तक के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना में की गयी प्रतिनियुक्ति से मुक्त किया जाता है।

2. विभागीय आदेश सं0-7316 दिनांक 29.5.19 एवं आदेश सं0-7454 दिनांक 31.05.19 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

(विमलेश कुमार झा)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-12/प0-5001/17-सा0प्र0-8116 /पटना, दिनांक- 18.6.19
प्रतिलिपि-प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना/सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रबंधक, आई0टी0, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने)/सभी संबंधित पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव